न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

ीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
ाजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 81/2020
GCMS NO. : 2020/00126

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
01. जीयाराम पुत्र नाथाराम 02. दूदाराम पुत्र नाथाराम जातियान– जाट, निवासीगण– ग्राम रानीवाल, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राज0।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय– जैतारण, जिला–ब्यावर (राज.)। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जरिये सहायक अभियंता, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 09/07/2020

ीस्थितः– 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 28/08/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ाजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश र निवेदन किया है कि सरहद मौजा रानीवाल पटवार क्षेत्र बैड़कला भू–अभिलेख ेरीक्षक क्षेत्र बैड़कलां जिला ब्यावर में वाके आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 04–13 ीघा किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि स्थित है जो ग्राम गरनिया से ग्राम रानीवाल ाने–जाने का सार्वजनिक आम रास्ता है जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की ड़क बनी हुई है व रास्ता चालु है उक्त सडक एवं सड़क के दोनों तरफ सार्वजनिक ाम रास्ते की रोड बाउण्ड्री स्थित है मगर सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि के दोनों रफ सीमांकन किया हुआ नहीं है ना ही पत्थर गढ्ढी व नेखमबन्दी की हुई है। उक्त खसरा नम्बर 295 की जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि बरा झालरा व उसका जाव सरहद मौजा रानीवाल में वाके आराजी सासरा नम्बर 288 रकबा 00–12 बीघा किस्म गै0मु0बेरा झालरा खसरा नम्बर 289 रकबा 56–09 बीधा किस्म चाही दोयम व खसरा नम्बर 294 रकबा 50–05 ीघा किस्म चाही दोयम भूमि पर प्रार्थी हिस्सानुसार रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार उक्त भूमि की चालू जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थीगण व समस्त ग्राम ानीवाल के निवासीगण उक्त आम रास्ता का सार्वजनिक रास्ते के रुप में काम में लेते आ रहे है प्रार्थीगण भी अपने कुएं व कृषि भूमि में आवागमन हेतु उपयोग–उपभोग रते आ रहे है। साथ ही इसी रास्ते से प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामीण अपने–अपने मवेशी, ाडी ट्रेक्टर, बैलगाडी वाहन इत्यादि का आने–जाने का सार्वजनिक रास्ता है। सार्वजनिक ाम रास्ता खसरा नम्बर 295 रकबा 04–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन आम रास्ते की

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

मि व उसके आस पास खेतों के पडौसियों द्वारा भूमि का कोई सीमांकन किया हुआ ी होने व ना ही पत्थर गढ्ढी, नेखमबन्दी की हुई होने से सार्वजनिक रास्ते की भूमि ः अतिक्रमण कर रास्ता को बहुत सकडा कर दिया है जबकि किसी भी व्यक्ति को ार्वजनिक आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सलिए उक्त सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि का मौके पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा माईश कर पत्थर गढढी कर नेखमबन्दी, सीमांकन किया जाना आवश्यक है ताकि रास्ते ी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को चिहिन्त किया जाकर हटाया जाने की कार्यवाही र रास्ते की भूमि को बतौर रास्ते के उपयोग-उपभोग हेतु बहाल किया जाना जनहित आवश्यक है। रास्ते की भूमि के सीमाकन बाबत प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान के मक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने पूर्व में अप्रार्थी संख्या एक हसीलदार जैतारण व पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक एव अप्रार्थी संख्या दो ार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार मौखिक व लिखित में आवेदन करने पर कोई ार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि अतिक्रमी प्रभावशाली व्यक्ति होने से राजस्व अधिकारी र्मचारी व राजनैतिक संरक्षण से कार्यवाही नहीं कर रहे है इसलिए मजबूरन प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। राजस्थान भू-राजस्व धिनियम व इसके तहत बने पैमाईश के नियमों के तहत सही पैमाईश सीमांकन के ाए भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटेलाईट के माध्यम से सीमांकन कर पत्थर गढ़ढी व खमबन्दी सैटलमेंट विभाग द्वारा करवाया जाना न्यायहित में जरूरी है ऐसा करवाने के ाए भू-प्रबन्ध विभाग जोधपुर टेकनिकल रुप से सक्षम है इस हेतु राजस्थान राज्य द्वारा टेलाईट सर्वे के लिए सीमांकन व सर्वे के लिए जो भी राज्य सरकार की निर्धारित ुल्क की राशि प्रार्थीगण अदा/जमा करवाने को तैयार है व प्रार्थीगण के खर्चे से ोमांकन करवाया जाकर सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमी व्यक्तियों से हाल करवाया जाना आवश्यक है। इस बावत अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति होने का प्रश्न ी पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण के खर्चे से सेटलमेंट ऑफिसर सेटलमेंट विभाग, जोधपुर ा सर्वे करवाया कर रिपोर्ट तलब करवाई जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत र निवेदन है कि सरहद मौजा रानीवाल, पटवार क्षेत्र बैड़कला, भू-अभिलेख निरीक्षक ेत्र जैतारण जिला ब्यावर में वाके आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 04-13 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता जो सार्वजनिक आम रास्ता है का भू-प्रबन्ध विभाग के सेटलमेंट ऑफिसर, जोधपुर के माध्यम से सैटेलाईट (Digitalization) के जरिए सर्वे करवाया जाकर ीमांकन किया जावे व संकड़े रास्ते की भूमि को अतिक्रमी व्यक्तियों से बहाल करवाई जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन रास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र तलब किया। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि ग्राम रानीवाल की जमाबन्दी 2075-2078 के अनुसार खसरा नम्बर 295 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता विभागीय भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जैतारण के नाम से दर्ज है। अतिक्रमण/सीमांकन/इत्यादि के लिए सम्बन्धित विभाग जवाबदेह प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान विधिवत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर करवा सकते है। सीमाज्ञान हेतु सम्बन्धित विभाग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
तहसीलदार, जैतारण (राज.)

सीमाज्ञान करवा सकता है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 295 का सीमाज्ञान करवाना हते है। जिसके विधि अनुरूप खातेदार नहीं है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व कारी पैरोकार की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार वेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

01. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा रानीवाल पटवार क्षेत्र बैड़कला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैड़कलां जिला ब्यावर में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 00-12 बीघा किस्म गै0मु0 झालरा, खसरा नम्बर 289 रकबा 56-09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 294 रकबा 50-05 बीघा किस्म चाही दोयम आई हुई है।

2. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार एवं कब्जा काश्तकार है तथा भू-अभिलेख में अलग से तरमीम है जिसकी सीमा अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 04-13 बीघा किस्म गै0मु0 आम रास्ता से लगता है। उक्त खसरान् की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादास्पद की स्थिति विद्यमान है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का न्यायालय हाजा से नापचौप कर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला ग्राम रानीवाल की जमाबन्दी 2075-2078 के अनुसार खसरा नम्बर 295 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता विभागीय भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जैतारण के नाम से दर्ज है। अतिक्रमण/सीमांकन/इत्यादि के लिए सम्बन्धित विभाग जवाबदेह प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान विधिवत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर करवा सकते है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि रहद मौजा रानीवाल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 00-12 बीघा किस्म 0मु0 झालरा, खसरा नम्बर 289 रकबा 56-09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा म्बर 294 रकबा 50-05 बीघा किस्म चाही दोयम में प्रार्थीगण बतौर काबिज हखातेदार काश्तकार दर्ज है तथा उक्त खसरान् से लगते ही अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 294 रकबा 04-13 बीघा(0.7527 हैक्टेयर) आई हुई है। जिससे भयपक्षकारान के कब्जे काश्त की आराजी की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को कर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को कर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा- 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 128 स्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत रा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान ने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद ोजा रानीवाल, पटवार हल्का बेड़कलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेड़कलां में स्थित र्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 288 कबा 00–12 बीघा किस्म गै0मु0 झालरा, खसरा नम्बर 289 रकबा 56–09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 294 रकबा 50–05 बीघा किस्म चाही दोयम का था उक्त खसरा से लगते अन्य खसरा नम्बर 294 रकबा बीघा(0.7527 हैक्टेयर) के ातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित किया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित रावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित ई। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर ख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

र्णय आज दिनाँक 28/08/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)